



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09042025-262389
CG-DL-E-09042025-262389

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1654]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 9, 2025/चैत्र 19, 1947

No. 1654]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 9, 2025/CHAITRA 19, 1947

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2025

का.आ. 1685(अ).—पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री शिवसुब्रमाणियन रमण, उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष के कार्यकाल के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 19/1/2019-पीआर]

पंकज शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2025

S.O. 1685(E).— In exercise of powers conferred by Section 4 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Central Government hereby appoints Shri Sivasubramanian Ramann, Deputy Comptroller and Auditor General & Chief Technology Officer, Office of Comptroller & Auditor General of India, to the post of Chairperson, Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA), for a tenure of five years with effect from the date of assumption of charge of the post or till he attains the age of 65 years, or until further orders, whichever is the earliest.

[F. No. 19/1/2019-PR]

PANKAJ SHARMA, Jt. Secy.